

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर

हरीश तनय रामचंद्र सोनी
निवासी 37 काली तिगड्डा, पुरव्याउ वार्ड
तह. व जिला सागर

निग. 3478- I-16

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 761/अ-2/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30/7/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धर्मश्री स्थित भूमि खसरा क्र 162/8, 170/2, 170/3 रकबा 0.625 हे. में से 1.21 एकड भूमि का आवसीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने हेतु आवेदक हरीश सोनी द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया परंतु प्रकरण में कोई वैधानिक कार्यवाही ना कर सरसरे तौर बिना किसी प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर प्रदाय किए बिना अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(नितेन्द्र रिपई
एड. सागर)

94251-71223)

१५

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3478-I.11 जिला सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-16	<p>1- आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 761/अ-2/वर्ष 14-15 में पारित आदेश दिनांक 30/07/16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि मौजा धर्मश्री स्थित भूमि खसरा क्र 162/8, 170/2, 170/3 रकवा 0.625 हे मे से 1.21 एकड भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसके व्यपवर्तन हेतु आवेदक हरीश सोनी द्वारा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परंतु अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा गलत आधारों पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिस कारण से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- आवेदक का यह भी तर्क है प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् खसरे में बटांक कायम है तथा भूमि आवेदक के एक खाते को छोडकर शेष भूमि एकाकी खाते की भूमि है परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य के विपरीत भूमि आवेदक का स्वामित्व स्पष्ट ना मान कर तथा खसरे में बटांक ना होने के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो कि विधि विपरीत है।</p> <p>उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा संहिता की धारा 172 में निर्धारित अवधि के अंदर प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही साथ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यपवर्तन से किसी भी प्रकार के लोक न्यूसेंस या विवाद उत्पन्न हो सकता है। आवेदक का तर्क है</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>कि अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा काल्पनिक व मनमने तौर पर अपना आदेश पारित किया है जो विधिक व संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।</p> <p>4- आवेदक द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पर संहिता की धारा 172 के अधीन कार्यवाही नहीं की गयी है और ना ही आवेदक कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>5- अनावेदक शासन पक्ष से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पूर्णतः वैधानिक बताते हुए निगरानी को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>6- उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 162/8, 170/2, 170/3 रकवा 0.625 हे आवेदक के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसमें से 1.21 एकड़ का व्यपवर्तन किए जाने हेतु आवेदक हरीश सोनी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है और खसरा में पृथक से कोई बटांक कायम नहीं है, जबकि आवेदक द्वारा पांचशाला खसरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज भूमि है तथा खसरा में बटांक भी कायम है। राजस्व न्यायालय को स्वामित्व का विनिश्चयन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जैसा कि शांतिबाई वि जसरथ धोबी 2005 रा.नि. 45 मान्य किया गया है। जहां तक लोक न्यूसेंस एवं विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर अथवा किसके प्रतिवेदन पर उनके द्वारा उक्त निष्कर्ष निकाला गया है। संहिता की धारा 172 की उपधारा 1 के परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान है कि</p>	<p>स्थान त</p>

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर


आवेदन पत्र प्राप्त होने पश्चात् तीनमास तक, उसके संबंध में अनुज्ञा या इन्कारी का आदेश करेगा परंतु आवेदक का दिनांक 13/8/15 को आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में कोई निराकरण नहीं किया गया तथा साथ ही साथ आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदाय नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत आदेश पारित किया है। अंतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी सागर का आदेश दिनांक 30/07/2016 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी सागर को आदेशित किया जाता है कि वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 162/8, 170/2, 170/3 रकवा 0.625 में से 1.21 एकड भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत करें

1. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 172 (1) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि आवासीय प्रयोजन की ही रहेगी।
2. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 59 (2) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि 1.00 एकड पर आवासीय दर से पुर्ननिर्धारण भू राजस्व निर्धारित किया जाये।
3. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 59 (5) के अंतर्गत प्रव्याजी निर्धारित किया जाये।
4. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सागर के प्रतिवेदन की शर्तों नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से ले-आउट अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक/ भूमिस्वामी को भवन निर्माण कार्य में

(Handwritten signature)

R 3478-7/16 (गणतंत्र)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
B 1/16	<p>रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्वयं करना आवश्यक होगी।</p> <p>7. आवेदक को सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> सदस्य</p>	